न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैंनपुरी।

रिलीज प्रार्थना पत्र संख्या– ३००५ /२०२२

राज्य बनाम रतन सिंह उर्फ तेजा ।
अ.सं. १७६/ २०२२
धारा–४१/१०२द.प्र.स.व४१४,४१३
भा.द.स.
थाना घिरोर जिला मैंनपुरी।

दिनांकः ३१.०८.२०२२,

प्रार्थी राजेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र सूबेदार निवासी लोहा बाजार विधूना की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–१७६/ २०२२ अ.धारा–४१/१०२द.प्र.स.व४१४,४१३भा.द.स. थाना घिरोर जिला मैंनपुरी में थाने में निरूद्ध वाहन पंजीयन संख्या–यू.पी.७९ एच. ५७१२ मोटर साइकिल को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उक्त वाहन थाना कोतवाली में खडा है तथा वाहन के समस्त कागजात पूर्ण है। प्रार्थी का वाहन थाने पर खडे रहने से खराब हो रहा है तथा प्रार्थी को आर्थिक हानि हो रही हैं। प्रार्थी को अपनी मोटरसाइकिल की आवश्यकता है। प्रार्थी के हक में रिलीज किये जाने की याचना की गयी हैं।

सम्बन्धित थाना रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है कि प्रश्नगत वाहन थाना हाजा पर खडा है व तकनीकी परीक्षण हो चुका है एवं वाहन के कागजात का सत्यापन हो चुका है।

प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

थाने की आख्यानुसार प्रश्नगत वाहन थाने पर निरूद्ध है। प्रार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में वाहन से सम्बन्धित आर.सी, की छाया प्रतियॉ दाखिल की गयी है। प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन प्रार्थी के नाम पंजीकृत है। अन्य किसी की ओर से सुपुर्दगी हेतु दावा प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया है। **विधि व्यवस्था सुन्दर लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य २०१३ (१) जे.आई.सी. ६१५ में** माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि गाडियॉ थाने में खडी रहने से राष्ट्रीय क्षति होती है। प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन एक यात्रिक वस्तु के रूप में मोटरसाइकिल है, जिसे दैनिक आने जाने में प्रयोग में लाया जाता है और यात्रिक वस्तु के लगाकार निरूद्धता के रहते निष्प्रोज्य होने की सम्भावना रहती है तथा यात्रिक वस्तु के उपयोगी बनाये रखने हेतु उचित रख–रखाव व मरम्मत की आवश्यकता होती है, जो कि वाहन को पंजीकृत स्वामी के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत वाहन प्रार्थी/ पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आधार पर्याप्त हैं।

आदेश,

अतः उक्त वाहन पंजीयन संख्या–यू.पी.७९ एच. ५७१२ मोटर साइकिल का पंजीकृत स्वामी के पिता आवेदक को बतौर सुपुर्दगी हस्तगत किया जाता है। प्रार्थी इस आशय की एक व्यक्तिगत बन्धपत्र व एक स्थानीय प्रतिभू व अण्डरटेकिंग मुव. ५०,०००/–रूपये की दाखित करें कि वह उक्त वाहन का दौरान मुकदमा विक्रय नहीं करेगा एवं उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तथा किसी अन्य के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं करेगा एवं प्रश्नगत वाहन न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वाहन के स्वामित्व का दावा किया जाता है तो उस प्र श्न के निस्तारण तक वाहन को पुनः न्यायिक अभिरक्षा में सम्बन्धित थाने में रखा जाये।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष घिरोर जिला मैंनपुरी को अदेशित किया जाता है कि पंजीकृत स्वामी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरान्त उक्त वाहन यदि अन्य किसी अपराध में वांछित न हो तो पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में दे दें।

आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त मोटरसाइकिल का बीमा कराकर अन्दन १५ दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

(भूलेराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मैंनपुरी।